तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4268/2006/उदयपुर** **बाबूलाल बनाम मोतीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.08.2025

1— यह निगरानी न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—05—2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि दावा बंटवारा का होते हुए भी तहसीलदार इसमें आवश्यक पक्षकार होने से न्यायालय को चाहिए ाि कि वह सुओ—मोटो भी उसे पक्षकार बना सकता था, परंतु उसे पक्षकार बनाये बिना ही जो प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी/वादी ने दावे में कलम संख्या 4—अ व 4—ब जोडना चाहा, उससे दावे की नेचर नहीं बदलती है। प्रार्थी/वादी के पिता प्रभु एवं प्रतिवादीगण के पिता रूपा सुथार की आराजी नम्बर 810 जिसके नये आराजी नम्बर 1176 रकबा 0.0450 है0 जो संयुक्त रूप से देवा पिता केवला डांगी निवासी कानपुर से 50/—रूपये में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी, इस कारण उस पर वादी व प्रतिवादी का शामलाती कब्जा है व दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा है, जिसका बंटवारा कराया जाकर वादी का 1/2 हिस्से का कब्जा कराया जावे व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा रखाया जावे, इसी प्रकार 4—ब में भी 1/2—1/2 हिस्सा दर्ज कराया जाकर उसी अनुसार कब्जा 1/2 हिस्से का दिलाया जावे व यही रिलीफ 2—अ में मांगी गयी है, इससे न तो वाद की नेचर बदलती है न ही दावे पर ओर कोई प्रभाव ही पडता है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भूल की है कि इस प्रकार संशोधित किये जाने से प्रकरण की प्रकृति में अन्तर नहीं आता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह कह कर कि बंटवारे में अपने हिस्से का बंटवारा कराये जाने के बाद अपने हिस्से का कब्जा चाहता है, प्रकरण की प्रकृति में अंतर माना व इस आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया, जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश भी स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो केस लो बताये उसका हवाला फेसले में दिये बिना ही मरजी मकसूद तरीके से प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश दिया है जो बिलकुल गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में अभी तक वादी की शहादत भी शुरू नहीं हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया वह बिलकुल गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 स्वीकार फरमाये जाकर दावे में चाहे गये संशोधन की स्वीकृति प्रदान कराई जाकर संशोधित दावा पेश करने का आदेश फरमाया जावे। उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (12) 2005 पेज 369, सिव0 टाईम्स (राज)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4268/2006/उदयपुर** **बाबूलाल बनाम मोतीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2001 पेज 123 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4— हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। निगराकार बाबूलाल ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रश्नगत आराजी बाबत् पेश किया। तत्पश्चात् वादी/निगराकार द्वारा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वादपत्र में संशोधन किये जाने की अनुमति चाही गयी। अनिगराकारगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन किया। परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर गिर्वा ने अपने आदेश दिनांक 22—05—2006 के द्वारा निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय उप—जिला कलक्टर गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—05—2006 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष उक्त निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष वादी निगराकार ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत वाद में वादी निगराकार ने अनुतोष में विभाजन का अनुतोष नहीं लिखा और उक्त आराजी को पैतृक भूमि होना भी कथन नहीं किया था। उपर्युक्त स्थिति में वादी निगराकार ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एंव आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि बाबत् विभाजन व कब्जेयाबी कराये जाने बाबत् संशोधन चाहा था। परीक्षण न्यायालय ने निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने निगराधीन आदेश में प्रार्थना पत्र को खारिज करने के जो आधार लिये है वे यह हैं कि :— *''आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वाद में वो ही संशोधन किये जा सकते हैं जिससे प्रकरण की प्रकृति में अंतर नहीं आता हो। वादी द्वारा चाहे गये संशोधन में विवादित आराजी को मौरूसी के रूप में संशोधित करवाना चाहते हैं एवं बंटवारा व कब्जेयाबी कराये जाने की नयी दाद जोडना चाहते हैं। उक्त सभी से प्रकरण की प्रकृति में अंतर आता है।''* हम परीक्षण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं है, क्योंकि वादी/निगराकार ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। धारा 53 में पैतृक सम्पत्ति अर्थात संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया जाता है। उक्त तथ्य पर विवेचन/विश्लेषण किये बिना परीक्षण न्यायालय द्वारा निगराधीन आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय के समक्ष विधिसम्मत निर्णय एवं रिजण्ड आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझतें है।

5— परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—05—2006 निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपजिला कलक्टर गिर्वा को पैरा संख्या 04 में किये गये विवेचन/विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय उप जिला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4268/2006/उदयपुर** **बाबूलाल बनाम मोतीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कलक्टर गिर्वा के समक्ष दिनांक 19–09–2025 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	